न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 3/2008(राजस्व वाद) दायर दिनांक– 14.1.2008

फैसल दिनांक– 19.6.10

अनवान

1–पूँजाजी पिता दीतीया जी मईडा मीणा

कायम मुकाम – श्रीनानूलाल पिता धुलजी मकवाना निवासी सागवाडा

अध्यक्ष वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)विकास समिति सागवाडा जिला डूँगरपुर

(वादी)

बनाम

1– श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

2– नगरपालिका सागवाडा जरिये अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री नागेन्द्रसिंह

वकील प्रतिवादी संख्या 1– पैरोकार सरकार

2– श्री वि०के०जैन

वाद बाबत घोषणा ,खाते दर्ज करने आराजी नम्बर 402 कस्बा सागवाडा का रकबा तीन बीघा दस बिस्वा

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सागवाडा में आदिवासी समाज है ,आदिवासी समाज अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आता है ।सागवाडा में आदिवासी समाज मईडा ,मकवाना,डींडोर ,अहारी भील इत्यादि नाम से पुकारा जाता है । कस्बा सागवाडा राम डॅगरी मन्दिर वाल्मिकी समाज सागवाडा के नाम से प्रसिद्ध था । वाल्मिकी ऋषी को प्रतिष्ठित एंव प्रसिद्धि के लिये समाज प्रयत्नषील रहा तथा बाद में यह स्थान वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर) के नाम से जाना जाता रहा । आदिवासी समाज के इस मन्श्रिदर के विकास के लिये एंव समाज के लिये एवं समाज के द्वारा अन्य कार्यों को करने एक समिति बनाई जिसका वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)विकास समिति सागवाडा के नाम से नामकरण किया गया । वादी समिति का अध्यक्ष है । समाज का प्रमुख है । वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर) विकास समिति का रजिस्ट्रार संस्थाऐं डूँगरपुर कार्यालय से रजिस्ट्रीकरण दिनांक 13.2.77 कराया जाकर प्रमाण पत्र कमांक 111/2006–7 जारी किया गया है तथा वादी को अध्यक्ष के नाम से समिति की ओर से मन्दिर एंव समिति के हित में कार्यवाही करने का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है । यह कि आदिवासी समाज सागवाडा को वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)निर्माण के लिये राज्य सरकार ने ग्राम सागवाडा के आराजी नम्बर 293 की रकबा तीन बीघा दस बिस्वा भूमि आवंटित की है , भूमिका आवंटन जिला कलक्टर डूँगरपुर के आदेश संख्या 3538 दिनांक 10.4.63 एवं 25.3.63 से किया गया है , आवंटित भूमि रामडूँगरी के नाम से जानी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

जाती है । यह कि उक्त आवंटित भूमि का नजराना 225.00 दौ सो पच्चीस रू.दिनांक 11.7.63 को समाज के कारिन्दा कुगा पिता नाथू मीणा सागवाडा के नाम से चालान से राज खजाने में राजस्व विभाग में जमा कराया गया ।यह कि आवंटित की जाने वाली भूमि की कार्यवाही तहसील सागवाडा के प्रकरण संख्या 847 सन 1963 से की गई । वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)के नाम से आवंटित तीन बीघा दस बिस्वा भूमि लगानी 2.25 दो रूपया पच्चीस पैसा है । श्रीमान तहसीलदार साहब सागवाडा से वाल्मिकी ऋषी के नाम से आवंटित भूमि को समाज के कारिन्दा कुहगा पिता नाथू मीणा निवासी सागवाडा के नाम आवंटित की ।समाज के कारिन्दा कुहगा का देहावसान हो गया है । यह कि आदिवासी समाज के कारिन्दा के नाम से 25.00 रूपया दिनांक11.4.63 को नगरपालिका सागवाडा मे जमा कराये गये है।

यह कि खतोनी मोजा सागवाडा संवत 2001–2010 में आराजी नम्बर 293 का रकबा 121बीघा 15 बिस्वा जो शामलाल देह खाता काबिल काश्त होकर तालाब लोहारिया के नाम से जाना जाता है ।तालाब लोहारिया की भूमि में कई काश्तकारान के कब्जे एवं काश्त की भूमि है । आदिवासी समाज के कब्जे की भूमि रामडूँगरी के नाम से जानी जाती है ।

यह कि खसरा गिरदावरी संवत 2019 में भूमि रकबा तीन बीघा दस बिस्वा वाल्मिकी ऋषी के नाम से मंजूर होने का इन्द्राज है जिसमें आदेश क्रमांक 1233 दिनांक 15.6.64 भी अंकित है । यह कि आराजी नम्बर 293 का हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में से 9 बीघा सात बिस्वा मगरी है तथा एक बीघा रास्ता है । इसमें से तीन बीघा दस बिस्वा का आंवटन के अनुसार वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर) के नाम से समिति का कब्जा होकर मन्दिर बना हुआ है । आराजी नम्बर 402 का तीन बीघा दस बिस्वा समाज के कारिन्दा कुगा के पिता नाथू मीणा सागवाडा के खाते दर्ज करना चाहिये था किन्तु प्रतिवादी के द्वारा आदेश की पालना नहीं करने से भूमि राज्य सरकार के नाम ही बनी हुई है किन्तु आवंटित रकबा आदिवासी समाज के होकर आधिपत्य एवं उपभोग में चला आ रहा है भूमि पर वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर) विकास समिति के कमरे बने हुए है।

यह कि पहले से वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)की व्यवस्था आदिवासी समाज द्वारा की जाती रही है किन्तु वैधानिक रूप से समितिका निर्माण मन्दिर विकास के लिए आवश्यक होने से वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)विकास समिति सागवाडा के नाम से सागवाडा के समाज द्वारा गठन किया गया है अतः आवंटित भूमि का खाता समिति के नाम का ही होना आवश्यक है ।

वाद के अन्त में साबिक आराजी नम्बर 293 रकबा तीन बीघा दस बिस्वा भूमि को हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ट है का आवंटन वादी वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर) को दिनांक 25.3.633/10.4.63 को किया गया है ,वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)के आधिपत्य एंव उपभोग में आवंटन के समय से चली आ रही है की घोषणा करने ,अपने खाते दर्ज कराने एवं दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने का प्रयास नही करने बाबत स्थाई / अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है ।

वादी ने वाद की पुष्ठि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद के साथ दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ,दस्तावेज इकरार नामा ,चालान की प्रति ,खतोनी आसामीवार संवत 2001–2010,जमाबन्दी मोजा सागवाडा खसरा नम्बर 402,विकास समिति की कार्यकारीणी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

बनाये जाने की प्रति , तहसीलदार सागवाडा को पटवारी सागवाडा के नाम पत्र ,वकील का नोटिस, पोस्टल रसीद , एक्नोलेजमेण्ट प्रस्तुत किए गए है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.9.2008 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 3.6.2008 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

वाद एवं जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए :–

तनकी संख्या 1:–आया साबिक आराजी नम्बर 293 रकबा तीन बीघा दस बिस्वा भूमि को हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ट है का आवंटन वादी वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदीर)को दिनांक 25.3.63 / 10.4.63 को किया गया है ?
(वादी)

तनकी संख्या 2:– आया वादी वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदीर)विकास समिति सागवाडा साबिक आराजी नम्बर 293 का रकबा तीन बीघा दस बिस्वा हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ठ है ,अपने खाते करवाने के अधिकारी है?
(वादी)

तनकीसंख्या 3 :– आया वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदीर)हाल नम्बर 402 पर बना हुआ है ,हाल खसरा नम्बर 402 का साबीक नम्बर 293 न होकर 295 है । अतः वादीगण का वाद खारीज करने योग्य है ?
(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4 :– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह नानूलाल पिता धुलजी मकवाना मीणा अध्यक्ष वाल्मिकी ऋषी मन्दिर /बिडला मन्दिर विकास समिति सागवाडा के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात समाज के कारिन्दा द्वारा पैसा जमा कराने रसीद की छाया प्रति प्रदर्श–1 ,संवत 2010की नकल प्रदर्श– 2, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्श–3,वाल्मिक ऋषी विकास समिति का विधान पत्र प्रदर्श–4,कार्यकारिणी समिति का दस्तावेज प्रदर्श–5 ,जमाबन्दी संवत 2061–2064 प्रदर्श – 6,नक्शा ट्रैस प्रदर्श– 7,धारा 80 नोटिस की प्राप्ति रसीद प्रदर्श 8 से प्रदर्श –119 ,नोटीस भेंजने की रजिस्ट्री की रसीदें प्रदर्श 13 से 16 ,निर्माण के लिए स्विकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की रसीद प्रदर्श– 17,धारा 80 का नोटिस का जवाब पटवार हल्का द्वारा प्रदर्श–18 ,प्रदर्श कराये गए । गवाह देवीलाल पिता कुकाजी एवं श्री सुबोधसिंह चारण तहसीलदार सागवाडा के बयान कराये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई । गवाह श्री सुबोधसिंह चारण तहसीलदार सागवाडा ने अपने बयान में आराजी नम्बर 402 वर्तमान में नगरपालिका सागवाडा के नाम दर्ज होना बताया है।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पत्रावली में अन्तिम बहस हेतु निवेदन करने पर पक्षकारान अभिभाषकगण की बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी की ओर से बहस में कमशः वाद पत्र एंव वाद पत्र के प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस समाप्त की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी की बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1:–आया साबिक आराजी नम्बर 293 रकबा तीन बीघा दस बिस्वा भूमि को हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ट है का आवंटन वादी वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदीर)को दिनांक 25.3.63 / 10.4.63 को किया गया है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी द्धारा प्रस्तुत वाद में साबिक आराजी नम्बर 293 रकबा तीन बीघा दस बिस्वा भूमि को हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ट है का आवंटन वादी वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर) को दिनांक 25.3.633 / 10.4.63 को किया गया है ,वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदिर)के आधिपत्य एंव उपभोग में आवंटन के समय से चली आ रही है की घोषणा करने ,अपने खाते दर्ज कराने एवं दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने का प्रयास नही करने बाबत स्थाई / अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 21 जो कि क्षेत्रफल फर्द तुलनात्मक ग्राम सागवाडा है जिसमें गत भूमाप 293 रकबा 121बीघा 16बिस्वा के वर्तमान नम्बर 399,396,397,398,432,391,410,409,44,401रकबा 121 बीघा 16बिस्वा बने है।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में की कलम संख्या 8 में खसरा नम्बर 402 रकबा दस बिघा सात बिस्वा पहाडी एव पर्वत के नाम पर दर्ज होना तो स्वीकार किया है लेकिन खसरा नम्बर 402 हाल साबीक खसरा नम्बर 293 का नही बनकर साबिक खसरा नम्बर 295 से हाल खसरा नम्बर 402 बना है एवं इस बात की पुष्टि प्रदर्श 21 फर्द तुलनात्मक से भी होती है । प्रकरण में उपलब्ध प्रदर्श –18 जो कि पटवारी सागवाडा द्धारा तहसीलदार सागवाडा को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है में भी बिन्दु संख्या 4 में आदिवासी समाज द्धारा चाही गई भूमि में ही भोई समाज की होली का दहन का कार्य भी किया जाता है, अंकित है ।

उपरोक्त विवेचन से साबिक आराजी नम्बर 293 रकबा तीन बीघा दस बिस्वा भूमि हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बिघा सात बिस्वा में समाविष्ट होने की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेज से नहीं होती है । इसी प्रकार वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि के आवंटन का कोई आवंटन आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2:–आया वादी वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदीर)विकास समिति सागवाडा साबिक आराजी नम्बर 293 का रकबा तीन बीघा दस बिस्वा हाल आराजी नम्बर 402 रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ठ है ,अपने खाते करवाने के अधिकारी है? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । तनकी संख्या 1 के विवेचन से साबिक आराजी नम्बर 293 का रकबा तीन बीघा दस बिस्वा हाल आराजी नम्बर 402 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ठ होने तथा आवंटन होने की पुष्टि नहीं होने से एवं पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री सुबोधसिंह चारण तहसीलदार सागवाडा ने भी अपने बयान में आराजी नम्बर 402 वर्तमान में नगरपालिका सागवाडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना बताया है । उक्त विवेचन अनुसार वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है , यह तनकी भी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

, तनकीसंख्या 3 :– आया वाल्मिकी ऋषी (बिडला मंदीर)हाल नम्बर 402 पर बना हुआ है ,हाल खसरा नम्बर 402 का साबीक नम्बर 293 न होकर 295 है । अतः वादीगण का वाद खारीज करने योग्य है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णयानुसार सागवाडा साबिक आराजी नम्बर 293 का रकबा तीन बीघा दस बिस्वा हाल आराजी नम्बर 402रकबा दस बीघा सात बिस्वा में समाविष्ठ होने की पुष्टि नहीं होती है । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में भी इस बात को अस्विकार करते हुए हाल नम्बर 402 साबिक खसरा नम्बर 293 से नही बल्कि 295 से बनना बताया है ।प्रतिवादी की इस बात की पुष्टि दस्तावेज फर्द तुलनात्मक प्रदर्श –21 से भी होती है जिसमें गत भूमाप 293 रकबा 121बीघा 16बिस्वा के वर्तमान नम्बर 399,396,397,398,432,391,410,409,44,401रकबा 121 बीघा 16बिस्वा बनना अंकित है । वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह तहसीलदार सागवाडा के बयान में भी आराजी नम्बर 402 वर्तमान में नगरपालिका सागवाडा के नाम दर्ज होना बताया है । वर्तमान में भूमि नगरपालिका सागवाडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है अतः नगरपालिका के नाम अकित भूमि को आवंटन का अधिकार नगरपालिका को है अतः वादीगण नियमानुसार नगरपालिका सागवाडा को आवंटन की कार्यवाही के लिए आवेदन कर सकते है। उपरोक्त विवेचन से हाल खसरा नम्बर 402 का साबिक नम्बर 293 न होकर 295 होना प्रमाणित होता है एवं वादी की ओर से वाद में 293 से हाल खसरा नम्बर 402 बनना अंकित किया है एवं भूमि नगरपालिका सागवाडा के नाम है । अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से वादी वाद को सिद्ध करने में असफल रहे है अतः वाद वादी खारीज किया जाता है । डिकी पर्चा जारी हो । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे ।

निर्णय आज दिनांक 19.6.18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा